प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

झारखण्ड सरकार

प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम

आदेश

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड राँची के अधिसूचना संख्या 1016/अनु0/ग्रा0वि0 PMAY-G-S4/2016 राँची, दिनांक 01.03.2017 एवं जिला कार्यालय के ज्ञापांक 162 /जि.ग्रा दिनांक 25.01.2018 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत PMU(Project Management Unit) गठन हेतु संविदा आधारित जिला समन्वयक के पद पर निम्न अभ्यर्थी को संविदा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है–

पद – जिला समन्वयक (District Coordinator)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	कोटि	आरक्षण कोटि जिसके विरूद्ध चयनित हुए है।	पदस्थापित
1	2457670669	SUMAN MISHRA	GENERAL	GENERAL	DRDA, EAST SINGHBHUM

नियुक्त अभ्यर्थी आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला कार्यालय में उपस्थित होकर एकरारनामा पर हस्ताक्षर करते हुए, जिला कार्यालय में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

कार्य दायित्व :–

1. जिला अंतर्गत सभी प्रखण्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण तथा अन्य सभी आवास योजनओं एवं अभिषरण से संबंधित कार्यो का निष्पादन प्रति दिन ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण तथा अन्य सभी आवास योजनाओं एवं अभिषरण से संबंधित सभी प्रकार के कार्य प्रखण्ड/जिला एवं राज्य से समन्वय स्थापित करते हुए करना सुनिश्चित करेंगे।
3. वरीय पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये विहित–प्रपत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण तथा अन्य सभी आवास योजनाओं एवं अभिषरण से संबंधित प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण तथा अन्य सभी आवास योजनाओं एवं अभिषरण से संबंधित सभी प्रकार की data Entry निदेशानुसार अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
5. अम्बेडकर आवास योजना से संबंधित कार्यो का निष्पादन ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।
6. राज्य/केन्द्र से समन्वय स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण तथा अन्य सभी आवास योजनओं एवं अभिषरण से संबंधित सभी प्रकार समस्याओं का निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त कर्मी पर निम्नलिखित शर्तें बाध्यकारी होंगी :

1. ये नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा पर नियुक्त सभी कर्मियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
2. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संविदा राशि अनुमान्य होगा।
3. प्रारंभिक चरण में ये नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जा रही है, जो नियुक्त अभ्यर्थियों के योगदान की तिथि से प्रभावी होगी। इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिये गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर

अगले वित्तीय वर्ष के लिये संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

4. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता प्रमाणित होने की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी को संविदा अवधि में भी कार्यमुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्त पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्त पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

   परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता प्रमाणित होने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

7. नियुक्त कर्मी के कार्यों की वार्षिक समीक्षा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं आवश्यकता पाये जाने पर पदस्थापना स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा।

8. संविदा के आधार पर रखे गये कर्मी की सेवा कभी भी बिना कारण बताये हुए समाप्त की जा सकती है।

9. नियुक्त कर्मी को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित आदेशों, निर्देशों आदि का पालन बाध्यकारी होगा।

10. नियुक्त कर्मियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिसकी अवधि एवं स्थल का निर्धारण राज्य सरकार या नियुक्त/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जायेगा। सभी चयनित कर्मियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. संविदा के आधार पर रखे गये कर्मी पदस्थापित जिला मुखायलय में ही निवास करेंगे। भविष्य में अगर पाया गया कि कर्मी पदस्थापित जिला मुख्यालय में निवास नहीं कर रहे है इस परिस्थिति ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा समाप्त की जा सकती है।

ह0/–
उप विकास आयुक्त
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक– 1593 /जि.ग्रा. दिनांक– 13/08/18

प्रतिलिपि :– श्री सुमन मिश्रा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला कार्यालय में उपस्थित होकर एकरारनामा पर हस्ताक्षर करते हुए, अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने पर आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ह0/–
उप विकास आयुक्त
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक– 1593 /जि.ग्रा. दिनांक– 13/08/18

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को जिला के वेबसाईट **www.jamshedpur.nic.in** पर अविलम्ब अपलोड करें।

प्रतिलिपि : उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

13/8/18
उप विकास आयुक्त
पूर्वी सिंहभूम।